निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 49/2025
दायरा दिनांकः–23.06.2025
निर्णय दिनांकः– 13.10.25

उन्वान

1. कस्तुरी बाई आयु 65 वर्ष पत्नि स्व0 जानक्या
2. नट्टी बाई आयु 42 वर्ष पुत्री जानक्या
3. मांगीलाल आयु 38 वर्ष पुत्र जानक्या
4. रामभजन आयु 25 वर्ष पुत्र जानक्या
5. लाडबाई आयु 44 वर्ष पुत्री जानक्या
6. सुरेश आयु 28 वर्ष पुत्र जानक्या
7. हंसराज आयु 30 वर्ष पुत्र जानक्या जातियान मीना निवासीगण ग्राम नीमथूर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. सोनु आयु 30 वर्ष पुत्र रमेशचन्द जाति बैरवा निवासी मुडक्या तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. मुन्नी बाई आयु 40 वर्ष पत्नि स्व0 पानाचन्द जाति जाटव निवासी खेडलीगंज अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
3. जयपाल आयु 52 वर्ष पुत्र जगन्नाथ
4. दिनेश आयु 28 वर्ष पुत्र जयपाल
5. जितेन्द्र आयु 30 वर्ष पुत्र जयपाल
6. महेन्द्र आयु 35 वर्ष पुत्र जयपाल समस्त जाति मीना निवासीगण निपानिया तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
7. मनोज आयु 35 वर्ष पुत्र शिवराज जाति राजपूत निवासी कडैयानोहर हाल निवास पालीवाल नगर अदालत के पीछे छबडा
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः– 13.10.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री देवेन्द्र कुमार गुप्ता – प्रार्थी
2. श्री दौलतराम मीणा – अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण की वाके ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

थूर पटवार हल्का चाचौड़ा तहसील छबड़ा जिला बांरा राज० में शामलाती कृषि आराजी ख़ाता संख्या नया 81 पुराना 46 खसरा नंबर 251 रकबा 1.2267 हैक्टयर, खसरा नंबर 349 रकबा 1.1255 हैक्टयर, खसरा नंबर 350 रकबा 0.1265 हैक्टयर, खसरा नंबर 355 रकबा 0.2656 हैक्टयर, खसरा नंबर 81 रकबा 0.2276 हैक्टयर, खसरा नंबर 82 रकबा 0.2150 हैक्टयर, कुल खसरे 6 कुल रकबा –3.1869 हैक्टयर में वादीगण प्रत्येक का हिस्सा 1/7 दर्ज रिकार्ड जमांबदी है प्रार्थीगण पूर्व से निरन्तर काबिज काश्त रहे है, किसी अन्य व्यक्ति की व किसी पडौसी खातेदार की कभी कोई दखल नहीं रही है। प्रार्थीगण अपनी आपनी आराजी पर काश्त करते है। आपस मे पाति मुनाफा से देते ह, ओर अपने परिवार का जीवन ज्ञापन करते चले आ रहे है। अप्रार्थी कम 1 व 2 की पडोसी खातेदार होने से ओर अप्रार्थीगण के द्वारा जब भी आराजी फसल होने के बाद खाली होती है तब हकाई के समय अप्रार्थीगण 1 व 2 के द्वारा प्रार्थीगण की उक्त खसरा नंबर 355 रकबा 0.2656 की आराजी में कब्जा करने की नियत रखते है, ओर कही बार ताकत के बल पर आराजी पर अतिचार करने के लिए अपने ऐजेन्टों के माध्यम से लठ्ठ लेकर आ जाते है, इनका प्रार्थीगण एक राय होकर सामना करते तब आराजी छोड़ कर भाग जाते है. ओर प्रार्थीगण को धमकी देते है कि हम खसरा नंबर 355 की आराजी पर कब्जा करके रहेगें। मुताबिक धमकी अप्रार्थीगण 1 व 2 की मिलने के बाद प्रार्थीगण थाना छबड़ा में भी रिपोर्ट लिखाने गये थाना वालो ने रेवन्यू कोर्ट मे दावा करने की बात कही ओर अप्रार्थीगण व उनके एजेंटो के खिलाफ किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही नही की ना अप्रार्थीगण को पाबंद किया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुति का कारण दिनांक 13.06.2025 को उत्पन्न हुआ जब अप्रार्थीगण 1 ता 7 एक राय होकर प्रार्थीगण की विवादित आराजी पर हथियारो से लैस होकर आये ओर प्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 355 पर चुना डाला ओर वादीगण ने ऐसा करने से मना किया तो धमकी देकर चले गयें इस आराजी को खाली रहने देना ओर इस पर हकाई जुताई की फसल उपज उत्पन्न की तो खड़ी फसल मे ही आग लगा देगे ओर तुम्हारी पूरी आराजी पर कब्जा कर लेंगें। अप्रार्थीगण 1 ता 7 प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र की मद नंबर 2 में वर्णित आराजी के खसरा नंबर 355 पर व अन्य आराजी पर कब्जा करने पर आमदा है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजी पर कब्जा करने पर आमदा है इसलिए प्रार्थीगण की आराजी पर से अप्रार्थीगण कम 1 ता 7 को दौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक है, इसलिए प्रार्थीगण के द्वारा यह प्रार्थना प्रस्तुत किये जाने के अलावा अन्य विकल्प शेष नही रहा है। बिना सहायता न्यायालय अप्रार्थीगण को उनके द्वारा किये गये अवैधानिक एंव गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नहीं है, प्रार्थीगण की आराजी पर कब्जा नही करने हेतु अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है, अप्रार्थीगण के कृत्यों से प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी तथा अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जयें सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 व 7 की ओर से जवाब पेश हुआ। अप्रार्थी क्रम 3 ता 6 की ओर से श्री कमल आसावत एडवोकेट का वकालतनामा पेश हुआ। जवाब पेश करना नही चाहतें है। जवाब बन्द किया गया। प्रार्थीया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम नीमथूर सम्वत् 2076–79 संख्या 81 नकल नक्शा ट्रेस पेश किया गया वकील अप्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम नीमथूर सम्वत्

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

76–79 खाता संख्या 57 नकल नक्शा ट्रेस ग्राम नीमथूर नकल एफ.आई.आर मौका रिपोर्ट पेश की गई।

अप्रार्थी क्रम 1 व 7 की ओर से जवाब पेश किया गया। जवाब में बताया कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी अनुसार प्रार्थीगण मात्र 6 बीघा कृषि आराजी के खातेदार है। परन्तु प्रार्थीगण मौके पर अपनी 12 बीघा कृषि भूमि बताते है और जबरन ताकत के बल पर अड़ौसी पड़ौसी की खेतो की मेड़ो को तोड़ते है सरकारी चिन्हो को नष्ट करते है। पैमाईश का आदेश कराकर हल्का पटवारी को दिनांक 13/06/2025 को मौके पर ले गये तो प्रार्थीगण ने हल्का पटवारी के बुलाने पर नही आये और मोबाईल नम्बर 9521649782 से- कॉल करके हल्का पटवारी सुनील मीणा को गाली गलोच की तथा जान से मारने की धमकियां दी। राजकार्य मे बांधा उत्पन्न की। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की जमीन का झूठा वाद लाकर अप्रार्थी सोनू वैरवा की जमीन खसरा नम्बर 356 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, को हड़पना चाहते है। और प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 356 के खेत की पूर्व दिशा की मेड व मेड पर स्थित सरकारी चिन्हो को ट्रेक्टर से हाक कर नष्ट कर दी अपने झूठे दावे की आड़ में प्रार्थीगण नाजायज गरीब, अप्रार्थी सोनू बैरवा को परेशान करते है। प्रस्तुत उनवानी प्रार्थना पत्र का निस्तारण हेतु न्यायहित मे निर्णय हेतु हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट मंगवाई जाकर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना न्यायोचित होगा। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर प्रार्थीगण को जर्ये ताफैसलावाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वाके माल नीमथूर खाता नम्बर 57 खसरा नम्बर 356 रकबा 0.6323 हैक्टयर, कृषि आराजी जो अप्रार्थी कम संख्या 1 सोनू वैरवा हिस्सा 24/25 को किसी प्रकार से हकाई जुताई ना करे कब्जा नही करे, तथा खातेदार सोनू बैरवा को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे, ऐसा कार्य न तो स्वयं करे न ही अपने प्रतिनिधियो से करावे खसरा नम्बर 356 खेत की मेड़ व सरकारी चिन्ह को नष्ट ना करे तथा हल्का पटवारी मौके पर पेमाईश व सरकारी चिन्ह स्थापित करे तो बांधा उत्पन्न नही करे। इत्यादि के लिए पाबंद फरमाने की कृपा करे

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम नीमथूर तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/7 दर्ज है जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है प्रार्थीगण अपनी आराजी को आपस में मुनाफा काश्त पर देते है अप्रार्थी क्रम 1 व 2 पडौसी खातेदार होने के कारण प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहतें है। जिसकी रिपोर्ट थाना छबडा में करवाने गये परन्तु थानाधिकारी छबडा द्वारा सक्षम न्यायालय में दावा करने की कहा गया। अप्रार्थीगण 1 ता 7 प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 355 पर जबरन कब्जा कर वेदखल करने पर आमादा है अप्रार्थीगण को प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने का कोई अधिकार नही है। अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावें। कि वह प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नही करें। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थी मात्र 6 बीघा भूमि के खातेदार है प्रार्थीगण मौके पर 12 बीघा भूमि बताते है प्रार्थी जबरन पडौसी

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

तेदारों की मेडों को तोडतें है। भूमि की पैमाईश के आदेश होने के बाद हल्का पटवारी ारा प्रार्थीया का बुलाया गया। परन्तु बुलाने पर नही आयें। प्रार्थीगण अपनी भूमि का झुठा दावा पेश कर अप्रार्थी सोनू बैरवा की भूमि खसरा नम्बर 356 रकबा 2.08 बीघा को हडपना चाहतें है प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 356 के खेत की मेड पर स्थित सरकारी चिन्हों को ट्रेक्टर से हाक कर नष्ट कर दिया प्रार्थीगण पडौसी खातेदार होने के कारण अप्रार्थीगण को परेशान करतें है। तथा प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की भूमि पर जबरन मेड तोडकर कब्जा करने पर आमादा है प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध कुट रचित पत्र पेश किया है जो खारिज फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम नीमथूर सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 81 में प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज है नकल नक्शा ट्रेस ग्राम नीमथूर के अनुसार खसरा नम्बर 355 व 356 दोनो की एक ही मेड है खसरा नम्बर 355 व 356 के खातेदार आपस में पडौसी खातेदार है प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य मेड तोड कर कब्जा करने का विवाद है। उभय पक्ष अपनी अपनी भूमि का सीमाज्ञान करने हेतु स्वंतत्र है विवादित आराजी खसरा नम्बर 355 में प्रार्थीगण का 1/7, 1/7 हिस्सा है जिस पर अप्रार्थीगण जबरन कब्जा कर बेदखल करने पर आमादा है अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर कब्जा करने का कोई अधिकार नही है। अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण पाबन्द कराने के अधिकारी है। प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन कब्जा कर प्रार्थीगण को बेदखल नही करने हेतु अप्रार्थीगण को पावन्द किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है। कि विवादित आराजी वाके ग्राम नीमथूर तहसील छबडा के खसरा नम्बर 251 रकबा 1.2267 है0 खसरा नम्बर 349 रकबा 1.1255 है0 खसरा नम्बर 350 रकबा 0.1265 है0 खसरा नम्बर 355 रकबा 0.2656 है0 खसरा नम्बर 81 रकबा 0.2276 है0 खसरा ननम्बर 82 रकवा 0.2150 है0 पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी ना करें। शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)